R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XIV ♦ अंक 8 ♦ फरवरी 2018

बैंकिंग विनियमन

दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान – संशोधित ढांचा

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के लागू होने के मद्देनजर, रिज़र्व बैंक ने 12 फरवरी 2018 को दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान हेतु मौजूदा दिशानिर्देशों की जगह समन्वित और सरलीकृत जेनरिक ढांचा शुरू किया जो निम्नानुसार है:

दबाव की समय पर पहचान और रिपोर्टिंग

उधारदाता दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करके चूक होने पर तत्काल ऋण खातों में भावी दबाव की पहचान करेंगे जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

एसएमए उप-श्रेणियां	वर्गीकरण का आधार मूलधन या ब्याज भुगतान या अन्य कोई राशि जो इस दौरान पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से देय हो
एसएमए - 0	1-30 दिन
एसएमए - 1	31-60 दिन
एसएमए - 2	61-90 दिन

उधारकर्ता कुल ₹ 50 मिलियन या इससे अधिक एक्सपोजर वाली उधारकर्ता संस्थाओं से संबंधित क्रेडिट सूचना, जिसमें खाते को एसएमए के रूप में वर्गीकरण शामिल है, बड़े क्रेडिट से संबंधित केंद्रीय सूचना रिपोजिटरी(सीआरआईएलसी) को रिपोर्ट करेंगे। सीआरआईएलसी-मुख्य रिपोर्ट 1 अप्रैल 2018 से मासिक आधार पर प्रस्तुत करने की जरूरत होगी। इसके अतिरिक्त, उधारदाता चूक करने वाली सभी उधारकर्ता संस्थाओं (कुल ₹ 50 मिलियन या इससे अधिक एक्सपोजर वाली) की रिपोर्टिंग सीआरआईएलसी को 23 फरवरी 2018 को समाप्त होने वाले सप्ताह से प्रत्येक शुक्रवार या शुक्रवार को अवकाश होने की स्थिति में इससे पहले कार्यदिवस को साप्ताहिक आधार पर करेंगे।

समाधान योजना (आरपी) का कार्यान्वयन

सभी उधारदाता इस ढांचे के अंतर्गत दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान हेतु बोर्ड से अनुमोदित नीति बनाए जिसमें समाधान की समयसीमा शामिल हो। जैसे ही किसी भी उधारदाता के पास उधारकर्ता संस्था के खाते में चूक होती है, सभी उधारदाता अकेले या संयुक्त रूप से इस चूक को ठीक करने के लिए उपाय करेंगे। समाधान योजना में कोई भी कार्रवाई/योजना/पुनर्गठन शामिल हो सकता है जिसमें उधारकर्ता संस्था द्वारा सभी अतिदेयों का भुगतान करके खाते को नियमित करना, एक्सपोजर का अन्य संस्थाओं/निवेशकों को बिक्री करना, स्वामित्व में बदलाव या पुनर्संरचना करना शामिल है किंतु यहां तक ही सीमित नहीं है। समाधान योजना को सभी उधारदाताओं द्वारा स्पष्ट रूप से प्रलेखित किया जाएगा (चाहे निबंधन और शर्तों में कोई बदलाव नहीं हो)।

समाधान योजना (आरपी) के कार्यान्वयन की शर्तें

उन उधारकर्ता संस्थाओं जिनका उधारदाताओं के पास क्रेडिट एक्सपोजर है, के लिए समाधान योजना को कार्यान्वित माना जाएगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:

(क) उधारकर्ता संस्था ने किसी भी उधारदाता से चूक नहीं की हो,

(ख) यदि समाधान में पुनर्संरचना शामिल है, तो

(i) उधारदाता और उधारकर्ता के बीच आवश्यक करार करने/जमानत प्रभार की सृजन/जमानत की पूर्णता सहित सभी प्रकार का संबंधित प्रलेखन सभी उधारदाताओं द्वारा पूरा कर लिया गया हो और

(ii) नई पूंजी संरचना और/अथवा मौजूदा ऋण के निबंधन और शर्तों में बदलाव सभी उधारदाताओं और उधारकर्ताओं की बहियों में विधिवत प्रतिलक्षित हुए हों।

इसके अतिरिक्त, समाधान योजनाएं जिसमें वृहत खातों (अर्थात ऐसे खाते, जहां ऋणदाताओं का सकल एक्सपोजर 1 बिलियन रुपए या उससे अधिक है) के स्वामित्व में पुनर्संरचना/परिवर्तन शामिल हैं, के लिए अपेक्षित होगा कि इस प्रयोजन हेतु रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्यायित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) के द्वारा अवशिष्ट ऋण का स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन (आईसीई) किया जाए। जहां 5 बिलियन रुपये या उससे अधिक के सकल एक्सपोजर के लिए ऐसे दो स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन (आईसीई) की जरूरत होगी, वहीं अन्य के लिए एक स्वतंत्र क्रेडिट मूल्यांकन (आईसीई) की जरूरत होगी। ऐसी समाधान योजनाएं जिसमें अवशिष्ट ऋण के लिए एक या दो सीआरए, जैसी भी स्थिति हो, से आरपी4 या बेहतर क्रेडिट राय प्राप्त होती है, उस पर कार्यान्वयन हेतु विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आईसीई चयनित शर्तों के अधीन होगा।

आईबीसी के अंतर्गत संदर्भित बड़े खातों के लिए समयसीमा

1 मार्च 2018 को या इसके बाद (संदर्भ तारीख) ऋणदाताओं के कुल ₹20 बिलियन और इससे अधिक के कुल एक्सपोजर वाले खातों, जिसमें वे खाते भी शामिल हैं जिनका समाधान मौजूदा किसी योजना के अंतर्गत शुरू हो गया है तथा वे खाते जिन्हें पुनर्संरचित मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो वर्तमान में संबंधित विनिर्दिष्ट अवधि (पिछली दिशानिर्देशों के अनुसार) में हैं, के संबंध में समाधान योजना को निम्नलिखित समयसीमा के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा:

(i) यदि संदर्भ तारीख पर चूक हुई है तो संदर्भ दर से 180 दिन।

(ii) यदि संदर्भ तारीख के बाद चूक हुई है तो ऐसी पहली चूक की तारीख से 180 दिन।

यदि बड़े खातों के संबंध में समाधान योजना विनिर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार कार्यान्वित नहीं हुई हो तो ऋणदाता उपर्युक्त समयसीमा के समाप्त होने के

15 दिनों के अंदर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत अकेले या संयुक्त रूप से शोधन अक्षमता एप्लिकेशन फाइल करेंगे।

ऋणदाताओं के ₹ 20 बिलियन से कम और या ₹1 बिलियन से अधिक का समग्र एक्सपोजर वाले खातों के लिए रिज़र्व बैंक का विचार दो वर्ष की अवधि के लिए समाधान योजना कार्यान्वित करने के लिए संदर्भ तारीख की घोषणा का है जिससे कि चूक में ऐसे सभी खातों के लिए समायोजित, समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके।

जिन उधारकर्ता संस्थाओं के विरूद्ध शोधन अक्षमता आवेदन फाइल किए गए हैं, उनके एक्सपोजर के संबंध में प्रावधानीकरण आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों पर समय-समय पर यथासंशोधित मास्टर परिपत्र के अनुसार उनके परिसंपत्ति वर्गीकरण के अनुसार होगा।

पर्यवेक्षी समीक्षा

ऋणदाताओं द्वारा निर्धारित समयसीमा पूरी नहीं करने या खातों की वास्तविक स्थिति छुपाने या दबावग्रस्त खातों को एवरग्रीन करने के इरादे से ऋणदाताओं द्वारा की जाने वाली कार्रवाई सख्त पर्यवेक्षी/प्रवर्तन कार्रवाई के अधीन होगी जिसे रिज़र्व बैंक उचित समझे जिसमें ऐसे खातों पर उच्चतर प्रावधानीकरण और मौद्रिक दंड शामिल है किंतु यहां तक ही सीमित नहीं है। बैंक कार्यान्वित समाधान योजनाओं से संबंधित खातों पर टिप्पणियां के अंतर्गत अपने वित्तीय विवरणों में उचित प्रकटन करेंगे। (http://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11218Mode=0)

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत

जीएसटी के तहत पंजीकरण के माध्यम से कारोबारी परिवेश को औपचारिक रूप देने के लिए परिवर्तन चरण के दौरान छोटी संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के उपाय के रूप में, रिज़र्व बैंक ने 7 फरवरी 2018 को निर्णय लिया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ता के प्रति बैंकों और एनबीएफसी के एक्सपोज़र को निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंकों और एनबीएफसी की बहियों में मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा:

- उधारकर्ता 31 जनवरी 2018 की स्थिति के अनुसार जीएसटी व्यवस्था के तहत पंजीकृत हो।
- बैंकों और एनबीएफसी का उधारकर्ता के प्रति समग्र एक्सपोजर, गैर-निधि आधारित सुविधाओं सहित, 31 जनवरी 2018 की स्थिति के अनुसार ₹250 मिलियन से अधिक न हो।
- उधारकर्ता का खाता 31 अगस्त 2017 की स्थिति के अनुसार मानक रहा हो।
- उधारकर्ता से दिनांक 1 सितंबर 2017 की स्थिति के अनुसार अतिदेय राशि और 1 सितंबर 2017 और 31 जनवरी 2018 के बीच उधारकर्ता से बकाया भुगतान की चुकौती उनकी संबंधित मूल बकाया तिथि से 180 दिनों के भीतर की जाएगी।
- इस परिपत्र के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत न किए गए एक्सपोजर के प्रति बैंकों/ एनबीएफसी के द्वारा 5% का प्रावधान किया जाएगा। खाते के संबंध में प्रावधान को 90/120 दिन, जो भी मामला हो, के मानदंड से अधिक समय तक कोई राशि अतिदेय न रहने की दशा में प्रतिवर्ती किया जाए।
- अतिरिक्त समय केवल आस्ति वर्गीकरण के प्रयोजन से प्रदान किया जा रहा है, न कि आय निर्धारण के लिए, अर्थात यदि उधारकर्ता से ब्याज 90/120 दिनों से अधिक समय से अतिदेय होगा, तो उक्त को उपचय के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाएगा। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11216Mode=0)

मार्च 2018 के लिए चलनिधि उपाय

जैसाकि मौद्रिक नीति में कहा गया था, प्रणालीबद्ध चलनिधि अधिशेष मोड में है, किंतु यह स्थिर रूप से तटस्थता की ओर बढ़ रही है। प्रचलन में मुद्रा और कॉर्पोरेटों द्वारा अग्रिम कर भुगतानों के बढ़ने के कारण चलनिधि की किसी भी प्रकार की अतिरिक्त मांग का समाधान करने और मार्च के अंत तक बैंकिंग प्रणाली में लचीलापन मुहैया कराने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 फरवरी 2018 को सूचित किया कि रिज़र्व बैंक पर्याप्त अतिरिक्त चलनिधि उपलब्ध कराने के लिए तैयार है जिसमें उचित लिखतों के मिश्रण का उपयोग किया जाएगा, जबकि इसके सामान्य चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) परिचालनों को जारी रखा जाएगा।

विशेष मामले के रूप में, एकल प्राथमिक व्यापारियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष की अंतिम नियमित मीयादी रेपो नीलामी में अनय पात्र सहभागियों के साथ सहभागिता करने की अनुमति होगी जिसे साधारण अधिसूचित राशि के अंदर 28 मार्च 2018 को आयोजित किया जाना है। अधिसूचित राशि उतनी होगी जितनी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत मीयादी रेपो नीलामियों के लिए पाक्षिक प्रेस प्रकाशनी में घोषित की गई।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=43151)

बैंकिंग पर्यवेक्षण

विशेषज्ञ समिति का गठन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 फरवरी 2018 को सूचित किया कि परिसंपत्ति वर्गीकरण और बैंकों के क्रेडिट पोर्टफोलियो में प्रावधानीकरण में देखे गए बड़े विचलन तथा भारतीय बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के पूर्व सदस्य श्री वाई.एच. मालेगाम की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए जो बैंकों में परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में देखे गए उच्च विचलन के कारणों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी आकलन और इससे बचने के लिए आवश्यक कदमों, बैंकों में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के कारकों और इसे नियंत्रित करने तथा रोकने के लिए आवश्यक उपायों (आईटी हस्तक्षेप सहित), और ऐसे विचलन तथा धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने में बैंकों में कराई जाने वाली विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षाओं की भूमिका और प्रभावशीलता की जांच करेगी।

समिति के सदस्यों में शामिल होंगे: श्री भरत दोशी, सदस्य, केंद्रीय निदेशक बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री एस रमन, पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, कैनरा बैंक तथा पूर्व पूर्णकालिक सदस्य, सेबी और श्री नंदकुमार सरावड़े, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्रा. लिमिटेड (रेबिट)। श्री ए.के. मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक इस समिति के सदस्य-सचिव होंगे। (https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=43181)

मौद्रिक नीति

छठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प

मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रिपो दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो दर 5.75 प्रतिशत पर, और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 6.25 प्रतिशत पर बरकरार रहेगी।

एमपीसी का निर्णय मौद्रिक नीति के तटस्थ रुझान के अनुरूप है। इसका तारतम्य, वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +2/-2 प्रतिशत के दायरे में रखने के उद्देश्य से भी है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=43078))

विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत एमएसएमई (सेवाओं) के संबंध में ऋण सीमाओं को हटाया जाना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत उपकरण में निवेश के अंतर्गत परिभाषित सेवाएं उपलब्ध कराने/सेवाएं देने वाले एमएसएमई सभी बैंक ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त करने के लिए अर्हक होंगे, जिसमें ऋण की कोई सीमा निर्धारित नहीं होगी।

लघु एवं सीमांत किसानों और सूक्ष्म उद्यमों से संबंधित उप-लक्ष्यों की प्रयोज्यता

यह निर्णय लिया गया है कि समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या बैलेंस शीट से इतर एक्सपोजर के तुल्य ऋण राशि (सीईओबीई), जो भी अधिक हो, के 8 प्रतिशत तुल्य ऋण लघु एवं सीमांत किसानों को प्रदान करने का उप-लक्ष्य 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 से लागू किया जाएगा। इसके अलावा, देश के सूक्ष्म उद्यमों को एएनबीसी या सीईओबीई के 7.50 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के तुल्य ऋण प्रदान करने का उप-लक्ष्य भी 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 से लागू किया जाएगा।

बेंचमार्क दर कार्यप्रणाली को सुसंगत बनाना

यह ध्यान में रखते हुए कि रिज़र्व बैंक द्वारा पहले के मौद्रिक नीति वक्तव्यों में इस संबंध में चिंता व्यक्त किए जाने के बाद भी बैंक ऋण का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बेस दर से जुड़ा हुआ है। चूंकि एमसीएलआर नीतिगत संकेतों के प्रति अधिक संवेदनशील है, अत: बेंचमार्क दरें निर्धारित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसे बेस दर से जोड़ने का निर्णय लिया गया जो 01 अप्रैल 2018 से प्रभावी होगा।

रेपो संबंधी समग्र दिशानिर्देश

भिन्नभिन्न प्रकार के संपार्श्विकों से संबंधित विनियमों को आसान बनाने तथा बेहतर सहभागिता, विशेष रूप से कॉर्पोरेट कर्ज रिपो के लिए, सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिपो दिशानिर्देशों को सरल और आसान बनाये जाने का प्रस्ताव है।

देश में फॉरैक्स हेजिंग के लिए अनिवासियों को अभिगम सहूलियत

अनिवासियों को अपनी हेजिंग आवश्कताओं, मसाला बॉन्ड जोखिमों सहित, के लिए देश के बाजार में अभिगम को सहज करने की दृष्टि से अब यह प्रस्ताव किया जाता है कि किसी भी अनुमत लिखत का प्रयोग करते हुए उन्हें देश में अपने करेन्सी और ब्याज दर जोखिमों को डायनामिकली हेज़ करने की अनुमति दी जाए।

एक्सचेंज ट्रेडेट करेन्सी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) के लिए सीमाओं में संशोधन

एक्सचेन्ज ट्रेडेट करेन्सी डेरिवेटिव्स में और सहभागिता को प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से अब यह प्रस्ताव किया जाता है कि सभी विदेशी मुद्रा-आईएनआर युग्मों के लिए इन पोजिशन-सीमाओं को समामेलन कर दिया जाए और सभी एक्सजेंच ट्रेडेट करेन्सी डेरिवेटिव्स के संबंध में सभी एक्सचेंज में संयुक्त रूप से प्रत्येक प्रयोक्ता (निवासी और अनिवासी दोनों) के लिए यूएसडी 100 मिलियन की एकल सीमा प्रदान की जाए।

एफबीआईएल द्वारा सरकारी प्रतिभूति बेंचमार्क और विदेशी मुद्रा संदर्भ दर को नियंत्रण में लेना

रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि (i) फाइनैंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लिमिटेड (एफबीआईएल) सरकारी प्रतिभूतियों (केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी) के मूल्यांकन को मानकीकृत करने की जिम्मेदारी लेगा जिन्हें वर्तमान में फिम्डा द्वारा किया जा रहा है तथा (ii) एफबीआईएल स्पोट यूएसडी/आईएनआर तथा रुपया की तुलना में अन्य प्रमुख मुद्राओं के लिए दैनिक 'संदर्भ दर' के परिकलन और प्रसार की जिम्मेदारी भी लेगा जिसे वर्तमान में रिज़र्व बैंक द्वारा किया जा रहा है।

गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के ग्राहकों के लिए लोकपाल योजना

गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के ग्राहकों को लागत मुक्त और तीव्र शिकायत समाधान तंत्र उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के लिए लोकपाल योजना शुरू की जाए। इस योजना में सभी जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों और एक बिलियन रुपए या इससे अधिक के परिसंपत्ति आकार वाले ग्राहक इंटरफेस वाली कंपनियों को कवर किया जाएगा।

मुद्रा प्रबंध प्रणाली की समीक्षा

जैसाकि 4 अक्तूबर 2016 को चौथे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित किया गया, रिज़र्व बैंक ने खजाने के स्थानांतरण की सुरक्षा सहित मुद्रा प्रबंधन के पूरे पहलुओं की समीक्षा के लिए दो उच्च स्तरीय अंतर-एजेंसी समितियों का गठन किया है। रिजर्व बैंक ने सरकार के साथ परामर्श से, चार मुद्रा प्रेसों जिनमें से दो रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी द्वारा और दो सरकार की एक इकाई द्वारा चलाई जाती हैं, के एक बाहरी समूह द्वारा एक लेखापरीक्षा की व्यवस्था की है, ताकि नोट मुद्रण प्रक्रियाओं, कच्चे माल की खरीद, गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं, सुरक्षा आदि को मानकीकृत किया जा सके। नौ महीने के भीतर उपरोक्त समितियों की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया जा रहा है।

मुद्रा वितरण और विनिमय योजना की समीक्षा (सीडीईएस)

कम नकदी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन योजनाओं की समीक्षा की गई है और नकदी पुनर्चक्रण मशीन (सीआरएम) और स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) की स्थापना के लिए प्रोत्साहनों को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=43079)

गैर बैंकिंग विनियमन

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना

23 फरवरी 2018 को रिज़र्व बैंक ने उन चयनित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), को सलाह दी जो (ए) जमा को स्वीकार करने के लिए अधिकृत; या (बी) ग्राहक इंटरफेस है, एक बिलियन रुपए या उससे ऊपर के आकार की परिसंपत्ति के साथ, पिछली वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षित बैलेंस शीट की तारीख तक, या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी तरह के परिसंपत्ति के आकार के अनुसार, वे गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, 2018 के लिए लोकपाल योजना के दायरे में आएंगे और उन्हें योजना के प्रावधान का पालन करना होगा। इसमें ग्राहक इंटरफेस के साथ एक बिलियन और इससे अधिक की परिसंपत्ति रखने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कवर किया जा सके।

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी (एनबीएफसी–आईएफसी), कोर निवेश कंपनी (सीआईसी), इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आईडीएफ–एनबीएफसी) और परिसमापन के तहत एक एनबीएफसी, को योजना के दायरे से बाहर रखा है।

यह योजना सभी जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को कवर करेगी और प्राप्त अनुभव के आधार पर, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की बाकी पहचान की गई श्रेणीयों में इस योजना का विस्तार करेगा। इसे प्रारंभ में एनबीएफसी लोकपाल कार्यालय चार मेट्रो केंद्रों अर्थात चेन्नै, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली में शुरू किया जाएगा ताकि संबंधित अंचलों में ग्राहकों की शिकायतों को देखा जा सकें, जिससे पुरे देश को कवर किया जा सकें। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11220Mode=0)

एनओ / पीएनओ की नियुक्ति

रिज़र्व बैंक ने गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) 2018 के लिए लोकपाल योजना के तहत आनेवाली गैर– बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को, सूचित किया कि वे यह सुनिश्चित करे कि अपने ग्राहकों से शिकायतों को प्राप्त करने और समाधान करने के लिए और ऐसी शिकायतों को शीघ्रता से और उचित तरीके से सुलझाना के लिए एक उपयुक्त तंत्र मौजूद है । योजना द्वारा कवर एनबीएफसी अपने प्रधान/ रजिस्टर्ड / क्षेत्रीय / क्षेत्रीय कार्यालयों में नोडल अधिकारी (एनओ) को नियुक्त करेगा और सभी लोकपाल कार्यालय को इस बारे में सूचित करें । जहां भी एनबीएफसी का एक से अधिक अंचल / क्षेत्र एक लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है, किसी एक नोडल अधिकारी को ऐसे अंचलों या क्षेत्रों के लिए 'प्रधान नोडल अधिकारी' (पीएनओ) के रूप में नामित किया जाएगा । पीएनओ / एनओ इस योजना के तहत लोकपाल और अपीलीय प्राधिकरण के सामने एनबीएफसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

कवर एनबीएफसी प्रमुखता से,पीएनओ / एनओ / जीआरओ की पर्याप्त जानकारी और लोकपाल का नाम संपर्क विवरण प्रदर्शित करेगें,जिनसे ग्राहक द्वारा संपर्क किया जा सकता है। योजना की मुख्य विशेषताओं को सभी कार्यालयों और शाखाओं में और कवर एनबीएफसी की वेब–साइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए । (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11221Mode=0)

विदेशी मुद्रा प्रबंध

जोखिम प्रबंधन: संशोधित दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने 26 फरवरी 2018 को भारत में रहने वाले व्यक्तियों और विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर (एफपीआई) को (लंबे या छोटे) पद लेने के लिए, अंतर्निहित एक्सपोजर का अस्तित्व स्थापित किए बिना,यूएसडी 100 मिलियन की एक सीमा तक समकक्ष आईएनआर सहित सभी मुद्रा जोड़े में शामिल, को साथ में रखकर, सभी एक्सचेंजों के बीच संयुक्त लेने के लिए अनुमति देने का फैसला किया है।

इस परिपत्र के प्रावधानों का अनुपालन करने की जिम्मेदारी एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव (ईटीसीडी) बाजार में भागीदार के साथ है और किसी भी मामले में उल्लंघन होने पर प्रतिभागी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा । इन सीमाओं पर भी एक्सचेंजों द्वारा नजर रखी जाएगी और उल्लंघनों,यदि कोई हो,तो उसे भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया जा सकता है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11222Mode=0)

मुद्रा प्रबंध

भार के हिसाब से सिक्कों को स्वीकार करना

रिज़र्व बैंक ने 15 फरवरी 2018 को सभी बैंकों को विशेष रूप से रू. 1 तथा 2 मूल्यवर्ग के सिक्कों को भार के हिसाब से स्वीकार करना सूचित किया है। यद्यपि, पोलीथीन की प्रत्येक थैली 100 सिक्के पैक कर स्वीकार करना शायद खजांची की साथ साथ ग्राहक के लिए भी अधिक सुविधाजनक होगा । इस प्रकार की पोलीथीन की थैलियाँ काउंटर पर भी रखी जाएँ तथा ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध करवाई जाएँ । इस आशय की एक सूचना भी आम जनता के सूचना हेतु शाखा परिसर के बाहर तथा अंदर उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित की जाए।

शाखाओं में सिक्कों के भण्डारण की समस्या का निराकरण करने के क्रम में, वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार मुद्रा तिजोरियों को सिक्कों का विप्रेषण किया जा सकता है । इस प्रकार से मुद्रा तिजोरी में सिक्कों के भण्डारण का उपयोग पुन: परिचालन के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है । मांग की कमी के कारण मुद्रा तिजोरी की धारण क्षमता से अधिक सिक्कों का भण्डारण हो जाने के मामले में, सिक्कों के विप्रेषण हेतु क्षेत्र के निर्गम कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है ।

नियंत्रक कार्यालयों को शाखाओं का औचक दौरा करने तथा इस संबंध में अनुपालन की स्थिति की रिपोर्ट प्रधान कार्यालय को देने हेतु सूचित किया जाता है । रिपोर्ट की प्रधान कार्यालय में समीक्षा की जाए तथा जहां आवश्यक हो, तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाए । इस संबंध में किसी भी गैर अनुपालन को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन माना जाएगा तथा समय समय पर लागू दण्डात्मक कदमों सहित कार्रवाई की जा सकती है । (https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11219Mode=0)

दण्डात्मक ब्याज लगाना – देरी से रिपोर्टिंग

रिज़र्व बैंक ने 9 फरवरी 2018 को यह निर्णय लिया है कि, रिपोर्टिंग में देरी के मामलों में, जहां मुद्रा तिजोरी ने निवल जमा रिपोर्ट किया था, प्रचलित दर से दण्डात्मक ब्याज प्रभारित नहीं किया जाए। तथापि, मुद्रा तिजोरी के लेन देन की रिपोर्टिंग को सुचारू रूप से अनुशासित करने के क्रम में, मुद्रा तिजोरियों को देरी से रिपोर्टिंग करने के लिए एक समान दर से रू. 50000/– का दण्ड लगाया जाए, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक को गंदे नोटों के विप्रेषण /आहरण के रूप में दर्शाए गए विपथन की गलत रिपोर्टिंग के मामले में लगाया जाता है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11217Mode=0)

जोस जे. कट्टूर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।